



मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

No. RMSC/मु.पत्रा/2011/211

Date : 26.08.2011

राज्यादेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयों 2 अक्टूबर, 2011 से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी। बजट घोषणा की पालना हेतु सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों के लिए जैनेरिक औषधियाँ, सर्जिकल एवं डाइग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागू करने हेतु राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। जिसके द्वारा मेडिकल कॉलेज से सम्बन्ध चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सेटेलाइट चिकित्सालयों, उप खण्ड चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरीज, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, एडपोस्ट एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आउटडोर एवं भर्ती रोगियों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक औषधियाँ इत्यादि दिनांक 02 अक्टूबर 2011 से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

1. जिला औषधि भण्डार (District Drug Warehouse) :-

1. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा जैनेरिक औषधियाँ, सर्जिकल एवं सुचर्स की खरीद हेतु सीधे ही दवा निर्माताओं को क्रयादेश जारी किए जावेंगे। दवा निर्माताओं द्वारा सीधे ही जिला औषधि भण्डार को दवाइयों इत्यादि की आपूर्ति की जायेगी। जहां से चिकित्सा संस्थानों को दवा वितरण हेतु जारी की जावेगी।
2. जिला औषधि भण्डार यथासंभव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित किये जायें। जहां औषधि इत्यादि का समुचित भण्डारण किया जाये।
3. जिला औषधि भण्डार सोमवार से शनिवार तक प्रातः 10.00 से सायः 5.00 बजे तक कार्यरत रहेगे।
4. जिला औषधि भण्डार का सम्पूर्ण प्रबन्धन (भण्डारों को सुसज्जित करवाना, औषधि प्राप्त करना एवं उनका पूर्ण रखरखाव, आवश्यकतानुसार दवा वितरण केन्द्रों को औषधि उपलब्ध करवाना आदि) जिला परियोजना समन्वयक आर.एच.एस.डी.पी. द्वारा किया जावेगा। तथा इन कार्यों के सम्पादन में निम्न कार्मिक सहयोग करेगें।
 - वरिष्ठ फार्मासिस्ट – 1
 - फार्मासिस्ट – 1
 - डेटा एन्ट्री ऑपरेटर – 1
 - हैल्पर/सफाई कर्मचारी – 2

(जिला औषधि भण्डार की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न किये गए हैं।)

2. कम्प्यूटराइजेशन (Computerization) :-

दवाओं के स्टॉक के प्रबन्धन (Inventory Management) हेतु जिला औषधि भण्डार को कम्प्यूटरीकृत कर विशेष ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित की जानी है, जिसमें सभी चिकित्सा संस्थानों की सूची के साथ-साथ दी जाने वाली दवाइयों की सूची भी उपलब्ध रहेगी। इस ऑन लाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेण्डरिंग करने, इनडेन्ट भेजने, चिकित्सा संस्थानों पर दवाइयों के उपभोग की स्थिति जानने, क्य आदेश जारी करने, Expiry date पता लगाने, दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं अवमानक घोषित औषधियों के बारे में सूचना प्रेषित करने आदि में मदद मिलेगी तथा औषधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। अस्पतालों को दी जाने वाली दवाइयों का विवरण भी इस साफ्टवेयर में दर्ज होगा जिससे आवश्यकतानुसार रिपोर्ट प्राप्त करने में सुविधा होगी।

3. गुणवत्ता परीक्षण (Quality Test) :-

जिला औषधि भण्डार में दवाईयां इत्यादि प्राप्त होने पर जांच के पश्चात रेन्डम सेम्पल लिये जाकर गुणवत्ता परीक्षण के लिये प्रयोगशाला जांच हेतु आरएमएससी मुख्यालय भेजे जायेंगे। जहां से सेम्पल जांच हेतु सूचीबद्ध प्रयोगशाला को भेजे जायेंगे। गुणवत्ता परीक्षण में निर्धारित मानकों के अनुसार नही पाये जाने पर किसी अन्य दूसरी प्रयोगशाला में सेम्पल जांच हेतु भेजा जायेगा। वहां पर भी जांच में निर्धारित मानकों के अनुसार नही पाये जाने पर सम्पूर्ण बैच अलग कर दिया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा चिकित्सा संस्थान से हटा दिया जायेगा। प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में निर्धारित मानक के अनुसार पाये जाने पर दवाईयां वितरण हेतु जारी कर दी जायेगी।

4. दवा वितरण केन्द्र (Drug Distribution Center):-

1. राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयों के वितरण के लिये चिकित्सालय में आने वाले आउटडोर एवं इनडोर मरीजों की संख्या के आधार पर दवा वितरण केन्द्र स्थापित किये जावे। निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र आउटडोर रोगियों हेतु ओपीडी समय के अनुसार तथा इनडोर रोगियों हेतु 24x7 दिवस कार्यरत रहेंगे।
2. दवा वितरण केन्द्र चिकित्सा संस्थान के आउटडोर (OPD) के पास स्थापित किये जावे। जिस पर निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र लिखा हो। दवा वितरण केन्द्र पर वितरित की जाने वाली दवाईयों के सम्बन्ध आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक बोर्ड लगाया जावेगा। दवा वितरण केन्द्र हेतु वर्तमान में चिकित्सा संस्थान में कार्यरत अस्पताल के दवा वितरण कक्ष, सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भण्डार व जन औषधि केन्द्र, बीपीएल दवा वितरण केन्द्र एवं अस्पताल औषधि कक्ष इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है।
(दवा वितरण केन्द्र की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न किये गये हैं।)

5. दवा पर्ची (Prescription) के सम्बन्ध में निर्देश

दवा पर्ची दो प्रति में लिखी जावेगी एवं यथा सम्भव जैनेरिक जाम से ही लिखी जाएगी। इस सन्दर्भ में मुख्य सचिव महोदय, द्वारा जारी आदेश संलग्न है।

6. उपचार की अवधि (Duration of Treatment)

सामान्यतया रोगी को तीन दिन की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जावे। अतिआवश्यक होने पर या विशेष परिस्थितियों में कारण इंगित करते हुए 7 दिन तक की दवा दी जा सकती है। लम्बी बीमारी (Chronic illnesses) यथा ब्लड प्रेशर/ डायबिटीज/ हृदयरोग/ मिर्गी / एनिमिया/ ओस्टियोअर्थराइटिस आदि के रोगियों व पेशेन्स को एक माह तक की अवधि की दवाईयां उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

7. स्थानीय क्रय (Local Purchase)

आकस्मिक परिस्थितियों जैसे महामारी, संक्रामक बीमारियों एवं आपदा आदि की स्थिति या सामान्यतः उपयोग में आने वाली दवा की उपलब्धता न होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान प्रभारी उनको आवंटित वार्षिक दवा बजट के 10 प्रतिशत तक की राशि की औषधियाँ क्रय कर सकेंगे। पर यह दवाईयां भी जेनेरिक नाम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर क्रय की जा सकेंगी।

8. दवा वितरण का दायित्व

आर.एम.एस.सी. का दायित्व चिकित्सालयों की मांग अनुसार चिन्हित की गई आवश्यक दवाएं व सर्जिकल आईटम क्रय कर अपने औषधि भण्डार गृहों के माध्यम से सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों को उपलब्ध कराना है।

रोगियों को दवा वितरण की व्यवस्था का कार्य चिकित्सा संस्थानों द्वारा किया जाना है। चिकित्सा संस्थान प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वे दवाओं की प्राप्ति, समुचित भण्डारण, दवा वितरण केन्द्रों को तैयार करना, स्टॉफ आदि की व्यवस्था व प्रशिक्षण एवं सुचारु रूप से OPD व भर्ती रोगियों को दवा वितरण की व्यवस्था करें।

9. मॉनीटरिंग व्यवस्था (Monitoring) :-

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा की जावेगी। इस सम्बन्ध में आदेश संलग्न है।

10. अभिलेख संधारण (Record Keeping)

संबन्धित चिकित्सा संस्थान यथा मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पताल, जिला अस्पताल, सी.एच.सी, पी.एच.सी इत्यादि पर स्टोर में एवं अन्य दवा प्राप्ति / निर्गम बिन्दुओं पर स्टॉक रजिस्टर, दवा उपभोग रजिस्टर इत्यादि का समुचित रूप से संधारण किया जावेगा। उक्त अभिलेखों पर स्पष्ट रूप से "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" का उल्लेख होना वांछित है। उक्त समस्त अभिलेखों, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि को समय-समय पर चेकिंग हेतु आंतरिक अंकेक्षण दल / महालेखाकार के अंकेक्षण दल एवं चार्टर अकाउन्टेन्ट फर्म (बाहरी एजेन्सी) को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। अभिलेखों के उचित संधारण के अभाव में संबन्धित स्टोरकीपर / प्रभारी स्टोर अधिकारी / संस्थान प्रमुख को सीधे रूप से उत्तरदायी माना जाकर उनके विरुद्ध सीधे ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी दवा का उचित रूप से भण्डारण व वितरण नहीं होने पर या अवधिपार (Expiry) होने पर मूल्य की वसूली भी की जा सकती है।

चिकित्सा संस्थान प्रभारी अपने अस्पताल की दवाईयों आदि की मांग समय पर जिला औषधि भण्डार को देंगे ताकि दवाओं इत्यादि की आपूर्ति निरन्तर बनी रहे। उनका यह दायित्व भी होगा कि कोई भी रोगी जानकारी के अभाव में निःशुल्क दवा वितरण सेवा से वंचित न रहे।

अतः समस्त सम्बन्धित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो राज्य सरकार की इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रयास करे तथा उक्त निर्देशो की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशो की पालना में किसी प्रकार की शिथिलता एवं निःशुल्क औषधि वितरण आदि के सम्बन्ध में कोई लापरवाही पाई जाती हैं तो सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जायेगी तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

**प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक / अधीक्षक, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी....., राजस्थान।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

**विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.**